श्री **साांवलियाजी मलदर लनयमां** , 1991 (47)

4		ん姓		1
200	Ŷ		-	7
-	C	7	3	1
	सत	रमेव	जर	रते ।

राजस्थान राज-पत्र लव शेषाांक

Regd.No. RJ.2539

RAJASTHANGAZETTE

Extraordinary

सावधकार प्रकावशत

Published by Authority

अग्रहायण 11, सोमवार, शाके 1913 - लदसम्बर 2, 1991

Agrahayana 11, Monday, Saka 1913- December 2, 1991

भाग-4 (ग)

उप खण्ड (।)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्रालधकाररयों द्वारा जारी लकये गये

(सामान्य अदेशों, ईप-विवधयों अवद को सवममवित करते हुए) सामान्य काननी वनयम।ू

देवस्थान लवभाग अलधसचनाू जयपरु , लदसम्बर 2, 1991

जी.एस.अर. 41:- श्री साांवितयाजी मतदर अध्याां देश 1991 (ॲध्यादेश सख्यां 10, सन ् 1991) की धारा 14, धारा 17, धारा 20 की ईप-धारा (2), धारा 21 की ईप-धारा (4), धारा 22, धारा 28 की ईप-धारा (3) की सपवित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शवियों का प्रयोग करते हए राज्य सरकारु, एतदद्वारा, ईि ॲध्यादेश के प्रयोजनों को कायाावन्ित करने के विए वनमनविवखत वनयम बनाती है, ॲथाात्:-

भाग-1

1. सलिप्त नाम तथा प्रारम्भां:-

- 1. ये वनयम श्री सािवियाजी मं वदर वनयमं, 1991 कहि।येंगे।
- 2. ये तरन्त प्रभाि से िागु होंगे।ू

2. पररभाषायें:-

- (1) आन वनयमों में, जब तक विषय या सन्दभा के विरूद्ध कोइ बात न हो:-(क) **"अध्यादेश"** से तात्पया **श्री साांवलियाजी मलदर अध्यादेशां** , 1991 से ह।ै
 - (ख) **''बजट''** से तात्पया श्री सािवियाजी मं वदर की प्रावियां तथा व्ययों के अनं मान के ु वििरण से ह।ै
 - (ग) **''बेिेन्स शीट''** से तात्पया श्री सािवियाजीं मवदरं के बजट सतं िनु वचत्र (बेिेन्स शीट) से ह।ै
 - (घ) "बोडड" से तात्पया अध्यादेश की धारा 5 के अन्तगात स्थावपत िए गवित श्री सािवियाजीं मवदरं बोर्ा से है वजसका कायाािय वचत्तौड़गढ़ वजि में वस्थत मण्र्विया ग्राम में होगा।
 - (ङ) **''प्रपत्र''** से तात्पया आन वनयमों के साथ िगे प्रपत्रों से ह।ै
 - (च) **''धारा''** से तात्पया अध्यादेश की धारा से ह।ै
 - (छ) **''वषड''** से तात्पया वदनाकं 1 ऄप्रेि को प्रारमभ ि अगामी वदनाकं 31 माचा को समाि होने िािे वित्तीय िषा से ह।ै
 - (ज) **''सेवा''** से तात्पया समस्त प्रकार की सेिा जो मवदरं की मवताू के समबन्ध में की जाती है ऄिथा ऄन्य ईसमें स्थावपत ऄन्य पजाू ऄचाना अवद से ह।ै
 - (झ) **''मलदरां लनलध''** से तात्पया है श्री सािवियाजीं मवदरं बोर्ा द्वारा प्रशावसत सािवियाजीं मवदरं वनवध तथा आसमें समस्त रावशयां, चढ़ािा, भेंट तथा पजाू स्थि के िाभ के

विए वकया गया कोइ भी ॲन्य दान या ॲवभदाय से है तथा आसमें ऐसी रावश जो पजाू स्थि तथा मवदरं श्री सािवियाजीं की सेिा पजाू के ॲधीन प्रयोजनों के विए की जाती भी आसमें सवममवित ह।ैं

- (ञ) "बोडड के अलधकारी तथा कमडचारी एव ां सेवकों" से तात्पया मख्यु कायापािक ॲवधकारी के ऒििा ऐसे वकसी भी ॲवधकारी ऐि कमाचारी से है जो बोर्ा द्वारा वनियु हो ॲथा बोर्ा से ॲवधकृ त व्यवि द्वारा वनियु हो, सवममवित ह।
- (ट) "मलदरां के आभूषणों" से तात्पया सोना, चादीं एि अन्य कीमती धातु के अभषणू, रत्नाभषणू तथा अन्य िस्तओु ंसे है जो मवताू को धारण कराये जाते हैं अथा पजाू काया के प्रयोग में िाये जाते ह।ैं
- (ि) "लनमाडण कायड" में श्री सािवियाजीं मवदरं बोर्ा द्वारा प्रशावसत सािवियां मवदरं पररसर तथा अन्य आमारत तथा आमारतों के वनमााण, मरममत, परितान, परिद्धान, सिद्धानं ि नये वनमााण काया तथा मवदरं के कृ वष एि वसचाइं समबन्धी काया जो मण्र्विया अथा मण्र्विया के बाहर वकये जाते हैं एि दानदाताओं ं के द्वारा कराये जाने िाि वनमााण काया जो बोर्ा अथा बोर्ा के द्वारा अवधकृ त अवधकारी की सहमवत से कराये जाते हों, अवद आसमें सवममवित ह।ैं
- (2) आन वनयमों में प्रिय वकुन्त ऄपररभावषत शब्दों तथा ऄवभव्यवियों में िे ही ऄथा होंगे जो ु ऄध्यादेश में क्रमशः ईन्ह ेंसमनदेवशत वकये गये ह।ैंु
- (3) जब तक वक सदभा द्वारा ॲन्यथा ॲपेवित न हों , आन वनयमों के विनाचन के विये राजस्थान साधारण खण्र ॲवधवनयम , 1955

(राजस्थान ॲवधवनयम ८, सन ् 1955) िैसे ही िाग होगा ू जैसे िह वकसी राजस्थान ॲवधवनयम के विनाचन पर िाग होता ह।ैू